

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु परिक्षेत्र दक्षिण बोरतलाव के आरक्षित कक्ष क्रमांक 437, रकबा 16.372 हे. वनक्षेत्र एवं 4.582 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ के जंगल) कुल 20.954 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Date : 15 -02-2021

Place : Raipur

Signature



PREM KUMAR

Secretary

Govt. of Chhattisgarh
Forest & Climate Change Dept.
Mantralaya Mahanadi Bhawan
Nawa Raipur, Atal Nagar

Name - Prem Kumar

Designation- Secretary,

C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-07/2021/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15/02/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्र),

भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

अरण्य भवन, अटल नगर,

नवा रायपुर, 492015।

विषय:- आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु परिक्षेत्र दक्षिण बोरतलाव के आरक्षित कक्ष क्रमांक 437, रकबा 16.372 हे. वनक्षेत्र एवं 4.582 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ के जंगल) कुल 20.954 हे. वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु FCA 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-868बी/416 दिनांक 13.02.2021।

---00---

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़, रायपुर, से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या								
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र – आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिला राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र दक्षिण बोरतलाव के आरक्षित कक्ष क्रमांक 437, रकबा 16.372 हे. वनक्षेत्र एवं 4.582 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ के जंगल) कुल 20.954 हे. भूमि की पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु मांग की गई है।	1								
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)– उक्त प्रकरण का रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/RAIL/48681/2020 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु. 35,000/– जमा कराया गया है।	2								
3	वन क्षेत्र का विवरण– प्रस्तावित तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य में निम्नानुसार वन एवं राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है:– <table><tr><td>वनमंडल</td><td>वन भूमि (हे.)</td><td>राजस्व वन भूमि (हे.)</td><td>व्यपवर्तन हेतु कुल प्रस्तावित रकबा</td></tr><tr><td>खैरागढ़</td><td>16.372</td><td>4.582</td><td>20.954</td></tr></table>	वनमंडल	वन भूमि (हे.)	राजस्व वन भूमि (हे.)	व्यपवर्तन हेतु कुल प्रस्तावित रकबा	खैरागढ़	16.372	4.582	20.954	3
वनमंडल	वन भूमि (हे.)	राजस्व वन भूमि (हे.)	व्यपवर्तन हेतु कुल प्रस्तावित रकबा							
खैरागढ़	16.372	4.582	20.954							
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण – प्रस्तावित तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य में 28.495 हे. गैर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।	4								
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर – प्रस्तावित वन क्षेत्र का वनमंडलाधिकारी खैरागढ़ द्वारा सत्यापित सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र 5–9 संलग्न है।	5 – 9								
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप – एफ.एम.आई.एस द्वारा सत्यापित मानचित्र जारी किया गया है जिसके आधार पर वन मंडलाधिकारी खैरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र संलग्न है।	10								

बिंदु क्र	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
7	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव - परियोजना की प्रशासकीय लागत 2687.00 करोड़ रु. है। यूजर एजेंसी ने यह भी पुष्टि की है कि उनके द्वारा उक्त गैर वानिकी परियोजना हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण वन क्षेत्र में व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया है वन भूमि की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।	11 - 16
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप - प्रोजेक्ट पर यूजर एजेंसी द्वारा दी गई विस्तृत टीप संलग्न है।	17
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र - उक्त प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वनभूमि में प्रस्तावित किया गया है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	18
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र - आवेदक संस्थान द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	19
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र - इस परियोजना के लिये पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम 1986) के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का आवेदनकर्ता का प्रमाण पत्र संलग्न है।	20
12	वृक्ष विदोहन विवरण - प्रस्तावित पनियोजाब से बोरतलाब के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य में प्रभावित हो रहे वनक्षेत्र में 3,544 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है। वृक्ष विदोहन योजना संलग्न है।	21-25
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस - कास्ट बेनिफिट एनालिसिस रिपोर्ट आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया है जो संलग्न है।	26 -48
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि-राजस्व वन क्षेत्र - प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि प्रस्तावित नहीं है।	49
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा - प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है।	50
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना- वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दक्षिण बोरतलाब परिक्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 437 की मांग की गई 16.372 हे. वन भूमि एवं 4.582 हे. राजस्व वन भूमि कुल 20.954 हे. के एवज में दक्षिण बोर तालाब परिक्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-465 के दुगुने बिगड़े वन भूमि में रकबा 50.00 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है।	51 -57
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र - वन मंडलाधिकारी, खैरागढ़ वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण बोरतालाब परिक्षेत्र के संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी-465 में दुगुने बिगड़े वन भूमि रकबा 50.00 हे. क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। यह भूमि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।	58
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण - प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही कोई कार्य कराया है।	59
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण - वन संरक्षण अधिनियम 1980 के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया गया है इसलिए कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।	60
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही - वन संरक्षण अधिनियम 1980 के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया गया है इसलिए कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है इसलिए इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा सकती है।	61
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र - आवश्यकता नहीं है।	62
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान - आवश्यकता नहीं है।	63
23	रिक्लेमेशन प्लान - आवश्यकता नहीं है।	64

बिंदु क्र	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – प्रस्ताव माईनिंग से संबंधित नहीं है, इसलिए प्रकरण में माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	85
25	व्यवस्थापन प्लान – प्रस्ताव में व्यपवर्तन हेतु आवेदित 20.954 हे. वन भूमि में किसी भी व्यक्ति अथवा समुदाय को वन अधिकार मान्यता पत्र का वितरण नहीं हुआ है और न ही किसी प्रकार से आवेदित भूमि में अतिक्रमण है इसलिए व्यवस्थापन का प्रश्न नहीं है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	86
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – वनमंडलाधिकारी खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़ द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 28.01.2021 को किया जाकर व्यपवर्तन के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। इसी तरह भाग -3 में मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग द्वारा व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है।	87 – 82
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – प्रस्ताव में व्यपवर्तन हेतु आवेदित 20.954 हे. वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक महत्व का स्थल, चिन्ह एवं मूर्ति नहीं है।	83
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – सरपंच ग्राम पंचायत पनियाजोब एवं बरनारा कला का अनापत्ति प्रमाण पत्र चेकलिस्ट क्र. 34 के साथ संलग्न है।	84
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) – खैरागढ़ वनमंडल के कुल वन भूमि का क्षेत्र 131369.928 हे. है।	85
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में – स्वीकृत प्रकरणों में खैरागढ़ वन मंडल में प्रभावित हुई वन भूमि 176.428 हे. है।	86
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी के विविध प्रकरणों में खैरागढ़ वनमंडल में प्रत्यावर्तित वन भूमि 18.101 हे. है।	87
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – प्रस्ताव में व्यपवर्तन हेतु आवेदित 20.954 हे. वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य अथवा हाथी कारीडोर नहीं है तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।	88
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – खनन का प्रकरण नहीं होने के कारण प्रस्तावित क्षेत्र के 15 कि.मी. की परिधि के नक्शे में चिन्हांकन किया जाना आवश्यक नहीं है।	89
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा दिनांक 24.12.2020 को जारी प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव संलग्न है।	90 –111
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र– प्रकरण में प्रभावित 4.582 हे. राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु कलेक्टर जिला राजनांदगांव द्वारा दिनांक 11.02.2021 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	112 –113
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	114 –115
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	116
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it – वन मंडलाधिकारी खैरागढ़ द्वारा प्रदायित विस्तृत टीप में लेख है कि कक्ष इतिहास के अनुसार वन कक्ष में प्राकृतिक उत्पत्ति के अंतर्गत मिश्रित प्रजाति के वन हैं जिनकी श्रेणी चतुर्थ “अ” एवं घनत्व 0.5 तक है। आवेदित वन भूमि के क्षेत्र की मुदा लाल लेटेराई, समाकृति उबड़ खाबड़ एवं भौमिकी डक्कन ट्रेप है।	117

बिंदु क्र	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र - व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी, खैरागढ़ का प्रमाण पत्र संलग्न है।	118
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 - आवेदित वन क्षेत्र 500 है, से कम होने के कारण आवेदक संस्थान की ओर से वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।	119
41	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण - प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 35000/- रुपये का डी.डी. आवेदक संस्थान द्वारा जमा कराया गया है। जिसे चालान द्वारा वनमंडल अधिकारी खैरागढ़ के पी.डी. खाते में जमा कराया गया है। प्रति संलग्न है।	120 - 121
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरण में)- प्रकरण खनन से संबंधित नहीं है। इसलिये वन्यप्राणी परियोजना से संबंधित अभिमत की आवश्यक नहीं है।	122
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण- आवेदक संस्थान द्वारा तैयार तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण तथा मानचित्र संलग्न है।	123 से 123 D
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण - प्रस्ताव में किसी प्रकार कमियां नहीं हैं।	124

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :- प्रस्ताव 1 प्रति में।

Regd.
15-2-21
(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15/02/2021

पृ.क्रमांक एफ-5-07/2021/10-2

प्रतिलिपि:-

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़,

2.मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ वनमंडल, छत्तीसगढ़।

4.आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता (निर्माण), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Regd.
15-2-21
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग